पत्रांक– अ०स०क०–08–क–PMJVK–22 / 2026....................

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ग़रार अहमद खाँ, भा०प्र०से०
ग़ार के अपर सचिव

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना

पटना, दिनांक..

विषयः– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– Computer No. 150636, PMJVK-001/35/2026-PMJVK, दिनांक– 26.03.2026 द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु केन्द्रांश मद में ₹500.00 लाख मात्र का Mother Sanction प्राप्त हुआ है। उक्त Mother Sanction के आलोक में 49वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत किशनगंज जिला के पोठिया प्रखण्ड में ए०पी० जे० अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय, पोठिया प्रखण्ड के भवन निर्माण (01 इकाई) हेतु केन्द्रांश मद में ₹54.00 लाख (चौवन लाख रूपये) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद में ₹36.00 लाख (छत्तीस लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल– ₹90.00 लाख (नब्बे लाख रूपये) मात्र राशि के आवंटन की स्वीकृति के संबंध में ।

प्रसंगः– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– Computer No. 150636, PMJVK-001/35/2026-PMJVK, दिनांक– 26.03.2026 एवं विभागीय आवंटनादेश सं०–764, दिनांक– 06.03.2026

आदेशः– स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 49वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत किशनगंज जिला के पोठिया प्रखण्ड में ए०पी०जे० अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय, पोठिया प्रखण्ड, जिला– किशनगंज के भवन निर्माण हेतु विभागीय आवंटनादेश सं०–764, दिनांक– 06.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्रांश मद में ₹54.00 लाख (चौवन लाख रूपये) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद में ₹36.00 लाख (छत्तीस लाख रूपये) मात्र राशि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। परन्तु कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं होने एवं SNA-SPARSH में विपत्र जनित (Generate) नहीं किये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित राशि की निकासी नहीं की जा सकी है। अतएव विभागीय आवंटनादेश सं0–764, दिनांक–06.03.2026 द्वारा दी गयी आवंटन को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

मंत्रालय के पत्रांक– Computer No. 150636, PMJVK-001/35/2026-PMJVK, दिनांक–26.03.2026 द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु केन्द्रांश मद में ₹500.00 लाख मात्र का प्राप्त Mother Sanction के आलोक में ए०पी०जे० अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय, पोठिया प्रखण्ड, जिला– किशनगंज के भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तंभ ix एवं x में अंकित केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश मद की राशि के अनुसार आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(अनुपात– 60:40, राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	जिला	प्रखंड	इकाई	49वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत परियोजना की कुल राशि	स्वीकृत केंद्रांश की राशि	स्वीकृत समानुपातिक राज्यांश की राशि	आवंटित किये जाने वाले केन्द्रांश की राशि	आवंटित किये जाने वाले समानुपातिक राज्यांश की राशि	आवंटित की जाने वाली कुल राशि (ix+x)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi
1.	APJ Abdul Kalam Residential Science School, Pothia block	किशनगंज	पोठिया	1	1437.00	862.20	574.80	54.00	36.00	90.00

2. उक्त आवंटित राशि मांग सं०–30 अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत व्यय, उपमुख्य शीर्ष–00–कल्याण, लघुशीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0207–अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम), विपत्र कोड–30–4250000510207, विषय शीर्ष–53–01, पी०एफ०एम०एस० कोड–3674 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में विकलनीय होगा।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु इस स्वीकृत राशि से SNA-SPARSH के माध्यम से वित्त विभाग, बिहार, पटना तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5295, दिनांक–09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक–13.07.2023 तथा समय–समय पर निर्गत SNA-SPARSH के दिशा–निर्देशों के आलोक में राशि का व्यय किया जायेगा।

5. इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यकारी एजेंसी– बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त दावा विपत्र के विरूद्ध (CFMS 2.0 प्रणाली अन्तर्गत SNA-SPARSH में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार) राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

6. इस योजना के लिए कार्यकारी एजेंसी "बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना" है। कार्यकारी एजेंसी द्वारा CFMS 2.0 प्रणाली अन्तर्गत SNA-SPARSH के तहत दावा विपत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपस्थापित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगें। महालेखाकार, बिहार को इस स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. कार्यकारी एजेन्सी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा उक्त परियोजना की Geo-tagging कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

11. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक 4989/वि० दिनांक 16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अपेक्षित होगा।

12. स्वीकृत योजना पर ही राशि व्यय की जाएगी। किसी भी स्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

13. यह चालू योजना है।

14. इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका–अ०स०क०–08–क–PMJVK–22/2026 के पृ०–10/टि० पर प्राप्त है।

15. उपरोक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–22/2026................................/ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा शाखा/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–22/2026................................/ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–22/2026.../   पटना, दिनांक...

प्रतिलिपिः– मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

E-mail

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–22/2026.../   पटना, दिनांक...

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, अ०क०, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

E-mail

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–22/2026.../   पटना, दिनांक...

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वी मंजिल, प० दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–22/2026 ..../   पटना, दिनांक...

प्रतिलिपिः–सहायक निदेशक (नोडल पदाधिकारी– SNA-SPARSH, PMJVK), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–22/2026 291................................../   पटना, दिनांक 17/08/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक/प्रोग्रामर (पी०एम०जे०वि०के० कोषांग), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

14/8/26
सरकार के अपर सचिव